



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०/22/दशम्-2/स्कूलरशिप/2021-6625

दिनांक: 16-3-2021

प्रेषक :

सचिव,
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला (कांगड़ा)-176213

प्रेषित:

समस्त
प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
रा०व०मा०/रा०उ०/सम्बद्धता प्राप्त निजी विद्यालय,
हि०प्र०।

विषय:- परीक्षार्थियों की Category/Sub-Category में शुद्धि बारे।

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षा विनियमन के नियम 14.2 के उपनियम 14.2.3 के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले ही Category/Sub-category में बदलाव किया जा सकता है, उसके उपरान्त छात्रवृत्ति के लाभ हेतु किसी भी परीक्षार्थी की Category/Sub-category में कोई बदलाव/शुद्धि नहीं की जा सकती है।

सरकार द्वारा प्रति वर्ष Category के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिसकी Category wise list Annual परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्यता हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को भेजी जाती है परंतु ऐसा ध्यान में आया है कि कई परीक्षार्थियों की Category/Sub-Category Registration के समय सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा गलत अंकित कर दी जाती है तथा उसकी शुद्धि समय पर नहीं करवाई जाती है जिस कारण बहुत से मेधावी परीक्षार्थी, सरकार द्वारा Category के आधार पर दी जाने छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं।

अतः प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करें की सत्र 2021 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा से सम्बन्धित यदि किसी परीक्षार्थी की **Category/Sub-Category** में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, तो उसकी शुद्धि हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले बोर्ड कार्यालय में पत्र व्यवहार कर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी की **Category/Sub-Category** में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी गलत Category के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक का होगा।

इसे अतिआवश्यक समझें।

भवदीय

उप सचिव(परीक्षा)
(कृते सचिव)